

कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।

(खनन—अनुभाग)

संख्या:— 224(1) / खनिज / विज्ञाप्ति—अल्प निविदा सांबालू / 2020

दिनांक: 01.07.2020

ई—निविदा आमन्त्रण हेतु ई—निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद—इटावा में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्र शासनादेश संख्या 781/86—2020—14(सा0) / 2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह(अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिये ई—विविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 07—07—2020 से 13—07—2020 पाँच बजे (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई—निविदा पोर्टल “etenders.up.nic.in” पर ई—निविदा आमंत्रित की जाती है।

1— क्षेत्र का विवरण:—

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाये	जियोकोर्डिनेट	उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/ उपखनिज की मात्रा (घन मी० में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर निर्धारित/ आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	इटावा	घूमनपुरा	47/1 ख	31.0 एकड़	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	A N 26° 44'43" E 78° 59'26" B N 26° 44'40" E 78° 59'24" C N 26° 44'49" E 78° 00'09" D N 26° 44'48" E 78° 00'11"	साधारण बालू	75273	4892745—00	2446372.50

1. अनुज्ञापत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर, या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई—निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री—बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग—अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग—अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई—निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एंव खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई—निविदा में भाग लेने के पश्चात इस संबंध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० को प्रदेश में ई—निविदा कराने हेतु नोडर संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:—
(क) ई—निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कान्ट्रेकर्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइन एजेन्सी से टाईप—।। का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।